न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर./2003/3053/श्रीगंगानगर

1– गुरदीपसिंह पुत्र रूडसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
- 1/1– चरण कौर पत्नी गुरदीपसिंह
- 1/2– कश्मीरसिंह पुत्र गुरदीपसिंह
- 1/3– सतवीर सिंह पुत्र गुरदीपसिंह
- 1/4– जसवीर सिंह पुत्र गुरदीपसिंह
- 1/5– सुखदेव सिंह पुत्र गुरदीपसिंह
- 1/6– पाल कौर पुत्री गुरदीपसिंह
- 1/7– नरेन्द्र कौर पुत्री गुरदीपसिंह
- 1/8– प्रेमसिंह पुत्र गुरदीपसिंह

समस्त जाति मजबी (हरिजन) निवासीगण हाल 6 बीकेएम, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1– रामचन्द्र पुत्र नूरिया (मृतक) जरिये वारिसान :–
- 1/1– मंगतूराम पुत्र रामचन्द्र
- 1/2– गंगो बेवा रामचन्द्र
- 1/3– सांवरा पुत्र रामचन्द्र
- 1/4– वीरू पुत्र रामचन्द्र
- 1/5– विक्की पुत्र रामचन्द्र
- 1/6– रजनी पुत्री रामचन्द्र

सभी जाति सांसी, निवासी झण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... **रेस्पोन्डेन्टस**

एकल–पीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री आर.पी. शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

दिनांक : 30 दिसम्बर, 2021

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 4–4–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट को उपायुक्त उपनिवेशन, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 17–4–1984 द्वारा चक बीकेएम का मुरब्बा नम्बर–97/6 के किला नम्बर–6 में 0–03 बिस्वा, किला नम्बर–7 में 0–04 बिस्वा, किला नम्बर–8 में 0–05 बिस्वा, किला नम्बर–9 में 0–06 बिस्वा, किला नम्बर–10 में 0–07 बिस्वा, किला नम्बर–11 से 19 में 9–00 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड का आबंटन किया गया तथा जमाबन्दी संवत 2042 में अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया गया। रेस्पो. संख्या–1 रामचन्द्र ने दिनांक 23–5–2000 को एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार उचित निर्णय लेने का आदेश दिया तथा उक्त प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–5–2000 को प्राप्त हुआ। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 2–9–2000 द्वारा बिना रेकार्ड का अवलोकन किये रेस्पो. का प्रार्थना पत्र दिनांक 23–5–2000 को स्वीकार कर दिया एवं अपीलान्ट के नाम इन्द्राज संवत 2042 की जमाबन्दी एवं उसके पश्चातवर्ती जमाबन्दियों से हटाने (निरस्त) का आदेश प्रदान किया एवं रेस्पो. संख्या–1 के हक में आबंटन को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–4–2003 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी से हटाने (निरस्त) करने का आदेश देने में अदालत मातहत ने महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने आवंटन की पत्रावली मंगवाये बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया। विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये सरसरी तौर पर

पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 4–4–2003 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 12–9–2000 को निरस्त फरमाया जावे।

5– रेस्पोन्डेन्टस ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का पुख्ता कीमतन आबंटन दिनांक 29–6–1977 को किया गया था जिसकी किश्तें भी जमा करा दी थी। कुछ किश्तें जमा कराने से रह गयी इसलिये उनका आबंटन खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध कार्यवाही थी। विधि का यह सुस्पष्ट मत है कि किश्तें जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। बाद में उक्त भूमि का पुनः आबंटन अपीलार्थी को कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण आबंटन था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष जब यह प्रकरण आया तो उन्होंने उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपने निर्णय दिनांक 12–9–2000 द्वारा अपीलार्थी का आबंटन निरस्त कर दिया और अप्रार्थी का आबंटन बहाल रखा। अप्रार्थी ने बहाया राशि का भुगतान कर दिया है और उन्हें सनद भी जारी हो चुकी है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 4–4–2003 द्वारा खारिज हो गई। इस अपील में अपीलार्थी ने कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिये यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आरआरडी–1994 पेज–756
2– आरआरडी–1994 पेज–277
3– आरबीजे–2017 पेज–220
4– आरबीजे–2007 पेज–593
5– आरआरडी–1994 पेज–277
6– आरआरडी–1994 पेज–757
7– आरबीजे–2002 पेज–265
8– आरआरडी–2002 पेज–187

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपनिवेशन आयुक्त, सूरतगढ़ ने दिनांक 29–6–1977 को अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र नूरिया को लॉटरी द्वारा चक 6 बीकेएम में मु.नं. 97/6 के किला नम्बर–6/3

बिस्वा, 7/4 बिस्वा, 8/5 बिस्वा, 9/6 बिस्वा, 10/8 बिस्वा, 11 से 25/15 बीघा तथा मु.नं. 77/64 में किला नम्बर–17 से 20/4 बीघा कुल 20 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड लाहर लूम भूमि कीमतन 1181 रूपये 25 पैसे प्रति बीघा की दर से आबंटन किया गया। आबंटन आदेश में यह भी अंकन है कि 5 बिस्वा का आबंटन अधिक होने से 5 बिस्वा की रकम स्माल पैच की दर से की जावे। इस प्रकार अप्रार्थी के पक्ष में विधिवत आबंटन होना पाया जाता है।

8– पत्रावली में पटवारी हल्का की फर्द मौका संलग्न है जो दिनांक 3–3–1999 को तैयार की गयी थी। इस फर्द मौका पर विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा बताया है। जब एक बार किसी भूमि का आबंटन किसी काश्तकार को हो जाता है तब उसी भूमि का पुनः आबंटन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में जो भी आबंटन किया गया था, वह त्रुटिपूर्ण आबंटन था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने विस्तृत निर्णय दिनांक 12–9–2000 द्वारा अपीलार्थीगण का आबंटन निरस्त करके अप्रार्थीगण का आबंटन यथावत रखा है। अप्रार्थीगण को राजस्व विभाग द्वारा सनद भी जारी हो चुकी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पक्ष में बहाल रखा गया आबंटन विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत होने के कारण पोषणीय है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 4–4–2003 द्वारा उसे उचित ठहराया है।

9– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–4–2003 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 12–9–2000 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य